

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1981/माघ 11, 1902
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1981/MAGHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1981

विदेश यात्रा कर

स० का. नि. 40 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, 4 फरवरी, 1981 से 12 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में हो रहे गृह निर्पेक्ष विदेश मंत्री सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आने वाले विदेश मंत्रियों, उनके पत्नियों या पत्नियों और प्रतिनिधियों (जिनके अन्तर्गत पदधारी भी है), जिनकी संख्या कुल मिला कर लगभग एक हजार होगी, को, उक्त सम्मेलन की समाप्ति पर भारत से बाहर किसी स्थान

को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाधत, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 20 फरवरी, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 1/एफ टी टी/81-फा. सं. 306/1/81-एफ. टी. टी.]

ज़ेड. बी. नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st January, 1981

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the Foreign Ministers, their spouses and delegates (including officials) numbering about one thousand in all coming to attend the Non-aligned Foreign Ministers' Conference to be held in New Delhi from the 4th February, 1981 to the 12th February, 1981, from payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act, in respect of their international journey to any place outside India at the close of the said Conference.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 20th February, 1981.

[No. 1/FTT/81-F. No. 306/1/81-FTT]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.